न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्याः—61 / 2018

1. रामनारायन
2. रामवीर
3. जमनादास

} पुत्रगण रामसरन जाति बाबाजी निवासी हथैनी, तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. कुंजबिहारी पुत्र यादराम
2. कुंजबिहारी पुत्र धनीराम
3. किशोरीबाई पुत्री कल्ला
4. छैलबिहारी पुत्र धनीराम
5. त्रिभुवनदास पुत्र यादराम
6. दयाराम पुत्र यादराम
7. दामोदर पुत्र यादराम
8. नवलदेई पुत्री धनीराम
9. मोनिका पुत्री धनीराम
10. रमेश पुत्र राधेश्याम
11. गोपाल पुत्र राधेश्याम
12. सुरेश
13. हरिओम

} पुत्रान राधेश्याम

14. लक्ष्मीदेवी पुत्री यादराम
15. ललिता पुत्री धनीराम
16. शकुन्तला पुत्री यादराम
17. श्यामबिहारी पुत्र धनीराम
18. रामप्रसाद पुत्र सरमन
19. देशराज
20. मुकेश
21. राजेश

} पुत्रगण मोहनसिंह पुत्र सरमन

22. गुड्डी पुत्री गोपाल
23. जगदीश पुत्र गोपाल
24. त्रिवेणी पुत्री सोनी
25. पार्वती पुत्री सोनी
26. महेश पुत्र गोपाल
27. माया पुत्री गोपाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28. श्यामबाबू पुत्र हरचन्द
29. सरवती पुत्री सोनी
30. सरोज पुत्री हरचन्द
31. सोनदेई पुत्री हरचन्द
32. रामबाबू } पुत्रान नत्थी
33. गोपाल }
34. महादेव पुत्र किशन पुत्र मनोहर
35. हेतराम पुत्र बल्लभ
36. कमलेश पुत्री श्यामा पुत्र सोरन

समस्त जातिगण बाबाजी, निवासी हथैनी, तहसील व जिला भरतपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

आदेश

दिनांकः— 10—01—2019

प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर स्थित हाल आराजी खसरा नंबर 191/0.13, 199/0.09 किता 2 रकबा 0.22 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 198/0.13 हैक्टेयर में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज हैं और अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अभी आराजी में शामिल काश्त कर रहे हैं। आराजी का कानूनी रूप से कोई विभाजन नहीं हुआ है। आपस में आराजी पर काश्त को लेकर तनाजा रहता है और झगड़ा फसाद होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में शामिल में काश्त करना संभव नहीं है। इसी कारण प्रार्थीगण उक्त आराजी में अपना हिस्सा अच्छे में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन करा पाने के अधिकारी हैं।

अप्रार्थीगण चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो कि प्रार्थीगण के हिस्से पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। वे प्रार्थीगण की फसल को बर्बाद करते रहते हैं इसी कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.09.2018

को प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है। यदि वे अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद करा पाना संभव नहीं है।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के सायलान के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत नहीं करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें और कोई निर्माण कार्य नहीं करें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में संवत् 2071–2074 की जमाबंदी किता 2 पेश की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2018 को वादग्रस्त आराजी की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 28 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और दिनांक 21.12.2018 को अपना जबाव पेश किया।

अप्रार्थी सं0 28 द्वारा अपने जबाव में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव दावा के विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा दावा विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 7 के मुताबिक जमाबंदी में अंकित नानगा, दयाराम व कल्याणदास जिनकी कि मृत्यु हो चुकी है, के स्थान पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को होना अंकित किया है। किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है यह अंकित नहीं किया है और न ही किसी भी प्रकार से मृतकों के स्थान पर खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की है। धारा 53 का दावा मात्र जमाबंदी में अभिलिखित खातेदारों के मध्य ही किया जा सकता है। इस कारण दावा ही मैण्टेनेबल नहीं होने से कोई भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

अप्रार्थी सं0 22 लगायत 27 व 29 लगायत 31 ने अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 28.05.2018 को वाद दायरी से पूर्व की जा चुकी है। अब इन अप्रार्थीगण के हिस्से पर मात्र प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 28 ही खातेदार है और अगर ऐसी सूरत में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होती है तो रिलीज डीड के आधार पर

नामन्तरकरण दर्ज नहीं हो सकेगा और उन व्यक्तियों का नाम अनावश्यक रूप से चलता रहेगा जिनके द्वारा अपना हिस्सा त्याग दिया है तथा अप्रार्थीगण सं0 22 लगायत 31 के हिस्सा में प्रार्थीगण का कोई भी मतलब नहीं है। अतः उक्त जारीशुदा अस्थाई निषेधाज्ञा काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 28 के अभिभाषक की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** पत्रावली पर उपलब्ध वाके ग्राम हथैनी तहसील भरतपुर की जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खसरा नंबर 191/0.13, 199/0.09 एवं 198/0.13 में अप्रार्थी सं0 28 श्यामबाबू पुत्र हरचंद जाति बाबाजी निवासी हथैनी सह खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं0 22 लगायत 27 व 29 लगायत 31 ने जरिये रिलीज डीड अपने हिस्से का हक त्याग अप्रार्थी सं0 28 के हक में कर दिया है। इस प्रकार उसके पक्ष में रिलीज डीड होने से अप्रार्थी सं0 22 लगायत 27 व 29 लगायत 31 के हिस्से की आराजी का भी अप्रार्थी सं0 28 हकदार है। चूंकि प्रार्थीगण का मूलदावा विभाजन से संबंधित है। अप्रार्थी सं0 28 वादग्रस्त आराजी में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। एक रिकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। इस बावत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2018(1) 405, RRT 2013(2) 1108, RRT 2013(1) 123, RRT 2004(2) 1117 प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती हैं। प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी हो। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के बनस्पत अप्रार्थी के हक में अधिक प्रमाणित प्रतीत होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी में अंकित नानगा, दयाराम व कल्याणदास जिनकी कि मृत्यु हो चुकी है, के स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को होना अंकित किया है।

किन्तु किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है यह अंकित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार से मृतकों के स्थान पर खातेदार घोषित करने की प्रार्थना भी की है। इस बावत दावा विभाजन के साथ–साथ घोषणात्मक भी खातेदारी हेतु किया जाना चाहिए जबकि वादीगण द्वारा दावा मात्र विभाजन का किया गया है जबकि उक्त खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा प्रतिवादी सं0 22 लगायत 27 व 29 लगायत 31 ने अपने हिस्से का हक त्याग दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादी सं0 28 के हक में भी किया गया है। इस कारण सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं0 28 के हक में बखूबी साबित प्रतीत होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं0 28 के हक में तय किये जा चुके हैं और इन दोनों बिन्दुओं में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के बनस्पत अप्रार्थी के पक्ष में अधिक प्रमाणित होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तीनों बिंदु अप्रार्थी के पक्ष में कयास होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. काबिल खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.09.2018 निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official